दिनांक	आज्ञा पत्र **मोहनलाल बनाम सलाउदीन दावा सं0 2025 / 146**	
.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । पत्रावली आज अंतिम बहस हेतु नियत है। जिसमें वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से आवेदन बाबत आगामी तारिख दिये जाने का पेश कर प्रकरण में एक माह बाद की तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से गत तारिख पेशी को प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी डी का पेश किया जिसका निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा किया जा चूका है। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में पेश करने हेतू समय चाहा है। प्रकरण काफी पुराना है। प्रकरण सन् 2005 से विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा समय समय पर प्रतिवादीगण द्वारा अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थना पत्र पेश किये है। हस्तगत पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में दर्ज हुई। जहां से प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर सहायक कलक्टर (मु0) सीकर में स्थानान्तरित की गई तथा सहायक कलक्टर (मु0) सीकर से पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश पर न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित हुई है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा गुणावगुण पर यथासंभव शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायहित में प्रतिवादीगण अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाकर दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बावजूद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पाबंद किये जाने के न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए। लेकिन न्यायहित प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु पुनः तीन अवसर दिये गये। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। प्रकरण में यदि कोई पक्षकार न्यायालय के द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट हो तो उनको सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उक्त चाराजोही हेतु न्यायालय अपनी कार्यवाही स्थगित करे। यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है। प्रकरण में यदि कोई पक्षकार न्यायालय के द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट हो तो उनको सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उक्त चाराजोही हेतु न्यायालय अपनी कार्यवाही स्थगित करे। यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रकरण को डिले करना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण को आवेदन बाबत आगामी तारीख पेशी दिये जाने का खारीज किया जाता है। वकील वादी की अंतिम बहस सुनी गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा अंतिम बहस नही किये जाने जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायालय न्यायहित में उचित समझता है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.08.2025 को पेश हो। [signature]	
7/8/2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से मय दाखिल दफ्तर हो। [signature] निर्णय आज दि० 7/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature]	